प्रेस विज्ञप्ति

19-12-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के मामले में माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 12.12.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस पूरक शिकायत के माध्यम से, ईडी ने मेसर्स ऑनट्रैक सिस्टम्स लिमिटेड को अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने, रखने, प्राप्त करने और उपयोग करने में शामिल होकर धन शोधन का अपराध करने के लिए एक आरोपी के रूप में नामित किया है। हरि बालासुब्रमण्यम को कंपनी के खातों और संपत्तियों के दुरुपयोग को जानबूझकर सुविधाजनक बनाने और धन शोधन के लिए रोकने में विफल रहने के लिए आरोपी बनाया।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, कोलकाता द्वारा भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। सीबीआई ने अब तक मामले में दो आरोप पत्र दाखिल किए हैं।

ईडी की जाँच में पता चला कि मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड ने कंपनी के झूठे और मनगढ़ंत स्टॉक और वित्तीय विवरण जमा करके बैंकों के संघ (कंसोर्टियम) से विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं। उक्त कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम के बकाया का भुगतान नहीं किया और बैंकों को 700 करोड़ रुपये का धोखा दिया। जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि उक्त ऋण सुविधाओं के बदले, मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड ने विभिन्न शेल कंपनियों के पक्ष में कई लाइन ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोले। इसके बाद, उक्त फर्मों ने झूठे टैक्स चालानों, चालानों, लॉरी रसीदों आदि के आधार पर अपने खातों में एलसी को डिस्काउंट किया। उपरोक्त एलसी के बदले कोई वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन नहीं हुआ। कुछ मामलों में, आगे धन शोधन और छिपाने के उद्देश्य से पर्याप्त धन तीसरे पक्ष को स्थानांतरित किया गया।

इससे पहले जाँच के दौरान, इस मामले में 26.03.2018 और 25.07.2024 की तारीख के दो अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए गए थे, जिसमें 31.89 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। तत्काल मामले में, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत और एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।

आगे की जाँच जारी है।